बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संoसंo–9/आo–06–01/2023(स्वाo) .... /पटना, दिनांकः–..

Central Diagnostic Center, Bhagalpur के स्तत्वधारी श्री जवाहर लाल द्वारा दिनांक–09.08.2022 को आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर के समक्ष जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर के विरूद्ध Ultra Modern Diagnostic Center एजेंसी के चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरतने से संबंधी परिवाद समर्पित किया गया। आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर के पत्रांक–885/विo दिनाक–28.09.2022 द्वारा त्रि–सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया। अपर समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–8268 दिनांक–20.10.2022 द्वारा समर्पित विस्तृत जॉच प्रतिवेदन में डाo असीम कुमार दास, तत्कालीन उपाधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर सम्प्रति अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के विरूद्ध निविदा के शर्तो का एजेंसी के चयन प्रक्रिया में पालन नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. डाo दास के विरूद्ध उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोप आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–1140(9) दिनांक–16.10.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन (अधिगम) में डाo दास के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया है।

3. विभागीय पत्रांक–980(9) दिनांक–21.08.2025 द्वारा अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर से एजेंसी के कार्यशैली के संबंध में प्रतिवेदन की माँग की गयी जिसके आलोक में संस्थागत अधीक्षक के पत्रांक–5064 दिनांक–23.09.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्त्तमान में Ultra Modern Diagnostic Center की सेवा M/S- Stpious Healthcare Pvt. LTd. भागलपुर से ली जा रही है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया है कि अधीक्षक के पत्रांक–5412 दिनांक–18.10.2023 के द्वारा अगली निविदा की प्रक्रिया पूरी होने तक उक्त एजेंसी का अवधि विस्तार किया गया है। उक्त अवधि में एजेंसी का कार्य संतोषप्रद है।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरान्त डॉo दास के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) से सहमत होते हुए एवं अधीक्षक कार्यालय, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर के ज्ञापांक–5064 दिनाक–23.09.2025 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में डाo असीम कुमार दास के विरूद्ध गठित आरोप–पत्र में वर्णित आरोप से मुक्त करने का विनिश्चय किया गया।

5. अतएव डॉo असीम कुमार दास, तत्कालीन उपाधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर सम्प्रति अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के विरूद्ध विभागीय संकल्प संo–1140(9) दिनांक 16.10.2023 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही से आरोप मुक्त करते हुए आरोप प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है।

6. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
हo/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आo–06–01/2023(स्वाo) .... /पटना, दिनांकः–.........................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (लेo एवं हकo) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैoदाoनिoकोo) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हo/–
सरकार के अवर सचिव।
16/01/2026

(15)

Email

ज्ञापांकः–9/आ0–06–01/2023(स्वा0) 104(9) /पटना, दिनांकः– 16.01.26

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर/सिविल सर्जन, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० असीम कुमार दास, तत्कालीन उपाधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर सम्प्रति अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–श्री जवाहर लाल, सेन्ट्रल डायग्नोशिश सेन्टर, मशकचक, भागलपुर–812001 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/01/2026

सरकार के अवर सचिव।